न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 68/2024/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 04.04.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

बाबूलाल पुत्र श्री मथुरालाल गोदपुत्र श्री गणपत लाल जाति माली निवासी कोयला, तहसील बारां, जिला बारां

...अपीलांट

बनाम

1. चन्द्रकांती बाई पुत्री श्री नन्दा पत्नी गोरधन जाति माली निवासी गणेश जी का मौहल्ला, ग्राम भटवाड़ा, तहसील मांगरोल, जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

... रेस्पो0

उपस्थित : श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र.2

::निर्णय::

दिनांक 22.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 10/2020 बउनवान चन्द्रकांती बाई बनाम बाबूलाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र.1 चन्द्रकांती बाई के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायालय तहसीलदार बारां, जिला बारां के मिसल सं0 38/2011 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2011 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश की गई। प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी बाबूलाल को गणपत का दत्तक पुत्र मानने के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में नियमित वाद विचाराधीन होने तथा गोदपुत्र होने बाबत् तथ्य सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.07.2023 से रेस्पो0 चन्द्रकांती की अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार,

22/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

बारां का आदेश दिनांक 29.09.2011 को निरस्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय तहसीलदार बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन वाद में बाबूलाल के दत्तक पुत्र बाबत् तथ्य निर्धारित होने पर तदनुसार नामांतरकरण दर्ज करे।

2. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.07.2023 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया गया कि छपना के तीन पुत्र हीरालाल (फौत), गणपत (फौत), मथुरालाल (फौत) हो चुके हैं। स्वर्गीय गणपत जी ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट को जाति रीति रिवाज से छोटे भाई मथुरालाल जी के पुत्र अपीलान्ट बाबूलाल को गोद लिया था, तब से अपीलान्ट बाबूलाल गणपत जी के साथ निवास कर रहा था। गणपत जी ने ही अपीलान्ट बाबूलाल की शादी विवाह कराई एवं बाबूलाल अपीलान्ट ने गणपत जी की मृत्यु बाद सारे उत्तरकार्य बहैसियत पुत्रवत किये। छपना जी के तीनो पुत्रों की मृत्यु हो जाने तथा शेष बचे दोनो भाईयो की मृत्यु हो जाने पर हीरालाल जी के पुत्रों रामनाथ, मोतीलाल की मृत्यु हो जाने के बाद शेष दोनो भाईयो नन्दा जी, आनन्दलाल जी, मोतीलाल जी की बेवा श्रीमती पुष्पा बाई एवं अपीलान्ट के जायन्दा भाईयो की सहमति से भविष्य मे परिवार मे कोई विवाद ना हो इसके लिये अपीलान्ट बाबूलाल ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपने गोद गृहिता गणपत जी के शामलाती एवं स्वअर्जित विवादित भूमि मे फौती इन्तकाल के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2011 मे प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण क्रमांक 38/2011 पर दर्ज कर सहखातेदारान् जो अपीलान्ट से उम्र मे बडे है, कि सहमति सजरा एवं तहसील बारां मे उपस्थित होकर आनन्दी लाल आत्मज हीरालाल, नन्दलाल आत्मज हीरालाल माली, पुष्पा बाई बेवा मोतीलाल पुत्री हीरालाल माली जो सब अपीलान्ट बाबूलाल से उम्र मे बडे है तथा सगे भाई रतनलाल आत्मज मथुरालाल ने अपीलान्ट को गणपत जी का गौद पुत्र स्वीकारते हुए एवं अन्य गवाहो की गवाही के आधार पर गणपत जी के शामलाती भूमि मे 1/3 हिस्सा तथा स्वअर्जित भूमि पर फौती इन्तकाल खोलने का आदेश दिनांक 29.09.2011 को पारित कर दिया, जिसकी पालना मे जर्ये नामांतरकरण नम्बर 1548 दिनांक 25.11.2011 को तस्दीक फरमा दिया, जिसका अमल तत्कालीन रेवेन्यू रिकार्ड मे दर्ज हो चुका है, अपीलान्ट मौके पर गणपत जी के जायदाद मकान एवं काश्त की भूमि पर गणपत जी के जीवनकाल एवं उनकी मृत्यु के बाद से भौतिक रूप से काबिज है। नामांतरकरण नम्बर 1548 दिनांक 25.11.2011 के खिलाफ धन्नालाल पुत्र रामनाथ एवं जानकीलाल पुत्र नन्दलाल जाति माली निवासी कोयला

22/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

ने अपील न्यायालय जिला कलेक्टर बारां के समक्ष अपील संख्या 28/2012 धन्नालाल, जानकीलाल बनाम बाबूलाल पेश की, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2014 को निरस्त फरमा दिया गया, जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने द्वितीय अपील पेश नहीं की, जिससे नामांतरकरण दिनांक 25.11.2011 बहाल रहा, अपीलान्ट हजारीलाल जी के पौत्र है। प्रस्तुत प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट क्रम 1 चन्द्रकान्ती बाई पुत्री नन्दा पत्नी गोरधन ने अधीनस्थ न्यायालय में मूल आदेश 38/2011 दिनांक 25.11.2011 अपील संख्या 10/2020 श्रीमती चन्द्रकान्ती बाई बनाम बाबूलाल एवं दूसरी अपील नामांतरकरण नम्बर 1548 दिनांक 25.11.2011 के विरूद्ध अपील क्रमांक 7/2020 चन्द्रकान्ती बाई बनाम बाबूलाल पेश की, जिसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2023 को पारित कर मूल आदेश एवं नामांतरकरण खारिज कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के विपरीत मियाद बाहर प्रकरण को सुनवाई योग्य मानकर मन्जूर किया है, जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट के पिता हजारी लाल जी एवं हजारी लाल जी के पिता रामनाथ आत्मज हीरालाल ने तत्कालिक समय 2011 मे अपने जीवित काकाओ के बयानो गौद की स्वीकृति के आधार पर खुले हुए निर्णय एवं नामान्तरकरण के खिलाफ अन्य सहखातेदारो ने ना तो अपील की और ना कोई वाद घोषणा का किया, इसलिये रेस्पोडेन्ट चन्द्रकान्ती बाई को अकेले अन्य सहखातेदारान् को पक्षकार बनाये अपील मूल निर्णय एवं नामांतरकरण के विरूद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है और तत्कालिक अन्य सहखातेदारो को पक्षकार बनाये बिना रेस्पोडेन्ट की प्रथम अपील मेन्टेनेवल नही होने से दोनो निर्णय काबिल निरस्तनीय है। प्रकरण अपील संख्या 28/2012 दिनांक 06.08.2014 को खारिज हो जाने के बाद कोई अपील अथवा वाद पेश नहीं करने से रेस्पोडेन्ट अपील करने से स्टोप्ड है। रेस्पोडेन्ट ने पूर्व मे निरस्त हुयी अपील के तथ्यों को न्यायालय मे छुपाया है। अपीलान्ट के गोद के वक्त न तो रेस्पोडेन्ट चन्द्रकान्ति बाई का जन्म हुआ था और न 2011 मे तस्दीक किये इन्तकाल की कोई उजदारी, ओबजेक्शन किसी व्यक्ति पक्षकार सह खातेदार ने नहीं किया, ऐसे मे परिवार से ली गई सही जानकारी के आधार पर पारित निर्णय एवं नामांतरकरण जैर अपील के खिलाफ अकेले रेस्पोडेन्ट क्रम–1 की अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने की कोई लाकेस स्टेण्डाई नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर अपील को बिना न्यायोचित उचित कारण एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के श्रृवणाधिकार मानने मे मियाद कानून की भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.07.2023 निरस्त फरमाया जावे तथा

22/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

न्यायालय तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां के आदेश दिनांक 25.11.2011 के आदेश को बहाल रखा जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बावजूद सूचना रेस्पो0 अभिभाषक के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट बाबूलाल ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपने गोद गृहिता गणपत जी के शामलाती एवं स्वअर्जित विवादित भूमि मे फौती इन्तकाल के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2011 मे प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण क्रमांक 38/2011 पर दर्ज कर सहखातेदारान् कि सहमति सजरा एवं तहसील बारां मे अपीलान्ट को गणपत जी का गौद पुत्र स्वीकारते हुए एवं अन्य गवाहो की गवाही के आधार पर गणपत जी के शामलाती भूमि मे 1/3 हिस्सा तथा स्वअर्जित भूमि पर फौती इन्तकाल खोलने का आदेश दिनांक 29.09.2011 को पारित कर दिया, जिसकी पालना मे जर्ये नामांतरकरण नम्बर 1548 दिनांक 25.11.2011 को तस्दीक फरमा दिया। नामांतरकरण नम्बर 1548 दिनांक 25.11.2011 के खिलाफ धन्नालाल पुत्र रामनाथ एवं जानकीलाल पुत्र नन्दलाल जाति माली निवासी कोयला ने अपील न्यायालय जिला कलेक्टर बारां के समक्ष अपील संख्या 28/2012 धन्नालाल, जानकीलाल बनाम बाबूलाल पेश की, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2014 को निरस्त फरमा दिया गया।, इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने पूर्व मे निरस्त हुयी अपील के तथ्यों को न्यायालय मे छुपाया है। अपीलान्ट के गोद के वक्त न तो रेस्पोडेन्ट चन्द्रकान्ति बाई का जन्म हुआ था और न 2011 मे तस्दीक किये इन्तकाल की कोई उजदारी, ओबजेक्शन किसी व्यक्ति पक्षकार सह खातेदार ने नहीं किया, ऐसे मे परिवार से ली गई सही जानकारी के आधार पर पारित निर्णय एवं नामांतरकरण जैर अपील के खिलाफ अकेले रेस्पोडेन्ट क्रम–1 की अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने की कोई लाकेस स्टेण्डाई नहीं है तथा रेस्पो0 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ अपील पेश नहीं की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना 96 सीपीसी के बिना एवं मियाद बाहर अपील को बिना न्यायोचित उचित कारण अपील का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.07.2023 निरस्त फरमाया

22/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

जाकर न्यायालय तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां के आदेश दिनांक 25.11.2011 के आदेश को बहाल रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5. प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डौन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर प्रकरण का गुणावगुण पर सुने जाने का अनुरोध किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी पर एकपक्षीय पर मनन किया। पत्रावली को अवलोकन करने से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्र.1 चन्द्रकांती बाई के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायालय तहसीलदार बारां, जिला बारां के मिसल सं0 38/2011 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2011 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश की गई। प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी बाबूलाल को गणपत का दत्तक पुत्र मानने के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में नियमित वाद विचाराधीन होने तथा गोदपुत्र होने बाबत् तथ्य सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.07.2023 से रेस्पो0 चन्द्रकांती की अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार, बारां का आदेश दिनांक 29.09.2011 को निरस्त किया जाकर प्रक़रण न्यायालय तहसीलदार बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन वाद में बाबूलाल के दत्तक पुत्र बाबत् तथ्य निर्धारित होने पर तदनुसार नामांतरकरण दर्ज करे। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील मीमो में अभिकथित किया तथा दौराने बहस भी वर्णित किया कि नामांतरकरण संख्या 1548 दिनांक 25.11.2011 के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर, बारां द्वारा दिनांक 06.08.2014 को निरस्त फरमाने से पुनः अपील करने से रेस्पोडेंट एस्टोप्ड है। जिला कलक्टर, बारां द्वारा दिनांक 06.08.2014 को तहसीलदार के मूल आदेश की अपील नहीं किये जाने से नामांतरकरण की अपील खारिज की गयी। जिला कलक्टर, बारां के न्यायालय में तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 29.09.2011 मिसल सं0 38/2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत हुई, जिसके संबंध में पूर्व में निर्णय नहीं होने से न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत प्रकट होता है। अधीनस्थ

22/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

न्यायालय में दिनांक 23.11.2022 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में भी उक्त निर्णय का वर्णन नहीं होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कि "विवादित आराजी बाबत् अधिकार उपखण्ड अधिकारी, बारां के यहां विचाराधीन नियमित वाद में तय होगें", विधिसम्मत प्रकट होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां द्वारा प्रकरण सं0 10/2020 बउनवान चन्द्रकांती बाई बनाम बाबूलाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2023 विधिसम्मत एवं उचित होने से यथावत रखा जाता है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/5/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा